कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।
Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक–1320 /1सी0 (वन) दिनांक28/8 /2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– **प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10925/2015 सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कांचुला–गैन मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.000 हे0 वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

सन्दर्भः– आपका ऑनलाइन E. D. S. 7.8.2018 एवं इस कार्यालय के पत्रांक सं0 1101/1सी0 वन दिनांक 17.8.2017 व 1518/1सी0 वन दिनांक 9.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 7.8.2018, भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियो का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्नवत है–

1	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point No. (i) though it is mentioned that the area proposed for CA was found suitable. the CA area still shows overlapping with some other proposal. Morever the required site suitability certificate is not submitted so far.	site suitability certificate तीन प्रतियो में संलग्न कर प्रेषित है। **संलग्न–1. स्थल उपयुक्तता का प्रमाण पत्र 3 प्रतियो मे।**
2	Original hard copy is not yet submited with all reivis documents.	सभी संसोधित प्रपत्रों को इस कार्यालय के पत्रांक सं0 1101/1सी0 वन दिनांक 17.8.2017 द्वारा आपको पूर्व मे प्रेषित किया जा चुका है। पुनः तीन प्रतियो में सलंग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **संलग्न 2–** 1– जियोरेफरेन्स डिजिटल मैप व टापोशीट मै। 2– क्षतिपूरक वृक्षारोपण का जियोरेफरेन्स मैप एवं टोपोशीट मैप। 3– एफ0आर0ए0 तीन–तीन प्रतियो मे।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से उक्त प्रपत्रों को अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करे।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय
28/8/18
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)
28.8.2018

पत्रांक /1सी0 वन तद्दिनांक

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।
Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक– 587 /1सी0 (वन) दिनांक 2 / 4 /2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– **प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10925/2015 सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कांचुली–गैन मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.000 हे0 वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

सन्दर्भः– आपका ऑनलाइन E. D. S. दिनांक 28.3.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक सं0 1518/1सी0 वन दिनांक 9.10.2017 तथा 1101/1सी0 वन दिनांक 17.8.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 28.3.2018 द्वारा लगाई गई आपत्तियो का निराकरण इस कार्यालय के पत्रांक 1518/1सी0 वन दिनांक 9.10.2017 एवं 1101/1सी0 वन दिनांक 17.8.2017 द्वारा किया जा चुका है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित कि जा रही है।

अतः अनुरोध है संदर्भित पत्रों द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रो एवं मानचित्रों को मूल मे अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय
2/4/18
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

2.04.2018

पत्रांक /1सी0 (वन) तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक–1518 /1सी0 (वन) दिनांक 9 / 10 /2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– **प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10925/2015 सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कांचुला–गैन मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.000 हे0 वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

सन्दर्भः– आपका ऑनलाइन E. D. S. दिनांक 20.09.2017, 4.08.2017 एवं इस कार्यालय के पत्रांक सं0 1101/1सी0 वन दिनांक 17.8.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित ई0डी0एस0 दिनांक 20.09.2017 द्वारा लगाई गई आपत्तियो का निराकरण आपके ई0डी0एस0 दिनांक 04.8.2017 के अनुपालन मे इस कार्यालय के पत्रांक सं0 1101/1सी0 वन दिनांक 17.8.2017 द्वारा पूर्व मे प्रेषित कर दी गयी थी। बिन्दु सं0 01 के की आख्या संलग्न सहित प्रेषित की जा रही है।

1	प्रश्न	उत्तर
1	It is seen from DSS analysis of the KML file/geo referenced map of the proposed CA area that 1.40 ha area out of total 8.00 ha overlaps with the CA area proposed against another project having proposal No. FP/UK/ROAD/14464/2015. State Govt. may change the CA area and submit revised geo referenced map,map in survey of india toposheet and suitability certificate ect.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ली गयी 8.00 हे0 भूमि क्षेत्रीय पटवारी की उपस्थिति मे चिन्हित सीमा के अन्तर्गत ही Coordinates लिये गये है। सीमांकन का सत्यापन पुनः दिनांक 05.10.2017 को विभाग एवं तहसील प्रशासन के द्वारा किया गया है। जिसके अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपड का जियो रेफरेन्स मैप सही है। **संलग्न– तहसीलदार कर्णप्रयाग की आख्या।**
2	In the village wise breakup of forest land given in para-B-2.3 of online part-I, forest land has been shown against 4 villages namely: kanchula, Donthla, Bairath, Gainsajkata but the name of these villages except Donthla village have not been mentioned in the proceeding of the Gram panchayat provided under FRA and uploaded in Part-K of online part-I.	ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये ग्राम कॉचुला, बेराठ, गेनसंजकटा के ग्राम स्तरीय समिति के प्रपत्र एवं FRA के सभी annexure Part I column K में ऑनलाइन अपलोड कर दिये गये है। एफ0आर0ए0 मूल मे संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व में प्रेषित कर दिया गया है।
3	State Govt. may also submit original har copy of the FRA certificate, geo referenced digital mpa of the forest land propsed for diversion and the land proposed for CA and authenticated copies of the proceedings of the District Level Committe, sub Divisional Level Committee and all Village Level committess.	एफ0आर0ए0, उपखण्ड स्तरीय समिति, ग्रामस्तरीय समिति के पपत्र, जियोरेफरेन्स डिजिटल मैप, टोपोशीट मैप, एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपड मानचित्र मूल मे संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व मे प्रेषित कर दिये गये है।

संलग्न 1– तहसीलदार कर्णप्रयाग की आख्या।
2– पत्रांक सं0 1101/1सी0 वन दिनांक 17.8.2017 की छायाप्रति।

भवदीय
9/10/17
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम- ग्वाड़ में हाल खसरा नं० 1268 में कुल रकबा - 13.901 हे० भूमि मध्ये सतिपूर्ति वृक्षा रोपण हेतु निम्न प्रकार भूमि प्रस्तावित की गयी है

(1)- सोनला कण्डारा मोटर मार्ग से कांचुला गैर मोटर मार्ग हेतु 1268 मध्ये 8.000 हे०

(2)- विशाल खाल से चमशील डेथी खेत बामनाप मोटर मार्ग हेतु 1268 मध्ये 3.500 हे०

(3)- रानो- ग्वीठी- सिमरखोली मोटर मार्ग हेतु 1268 मध्ये 1.901 हे० भूमि कुल रकबा 13.401 हे०, वन विभाग हेतु सतिपूर्ति वृक्षा रोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है।

(हस्ताक्षर)
रा० उ० नि०
कनखुल
51 X 117

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार
कर्णप्रयाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक- 1101 /1सी0 (वन) दिनांक 17/8 /2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

बद्रीनाथ वन प्रभाग

गोपेश्वर।

विषयः- प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/10925/2015** सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग से कांचुला-गैन मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.000 हे0 वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ आपका ऑनलाइन E. D. S. दिनांक 04.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित ई0डी0एस0 दिनांक 04.8.2017 द्वारा प्राप्त आपत्तियो का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या प्रेषित की जा रही है, जो निम्नवत हैः-

1	प्रश्न	उत्तर
1	It is seen from DSS analysis of the KML file geo referenced map of the proposed CA area that 1.10 ha area out of total 8.00 ha overlaps with the CA area proposed against another project having proposal No. FP/UK/ROAD/14464/2015. State Govt. may change the CA area and submit revised geo referenced map,map in survey of india toposheet and suitability certificate ect.	[illegible] Coordinates लिये गये है। तदोपरान्त ही जिओ- रिफरेन्स मैप बनवाया गया है। महोदय इस खण्ड के द्वारा कोआर्डिनेट लेने मे त्रुटि नहीं की गयी है एवं जिओ रिफरेन्स मैप चिन्हित स्थल के अनुसार सही है।
2	In the village wise breakup of forest land given in para-B-2.3 of online part-I, forest land has been shown against 4 villages namely; kanchula, Donthla, Bairath, Gainsajkata but the name of these villages except Donthla village have not been mentioned in the proceeding of the Gram panchayat provided under FRA and uploaded in Part-K of online part-I.	[illegible] समिति के प्रपत्र एवं FRA के सभी annexure Part I column K में ऑनलाइन अपलोड कर दिये गये है।
3	State Govt. may also submit original har copy of the FRA certificate, geo referenced digital mpa of the forest land propsed for diversion and the land proposed for CA and authenticated copies of the proceedings of the District Level Committe, sub Divisional Level Committee and all Village Level committess.	एफ0आर0ए0 उपखण्ड स्तरीय समिति, ग्रामस्तरीय समिति के [illegible] डिजिटल मैप, [illegible] एवं क्षतिपूरक [illegible] सलग्न 1- एफ0आर0ए0 के सभी प्रमाण पत्र (पेज न0 2-13) 2- जियोरेफरेन्स डिजिटल मैप, (पेंज नं0 14) 3- टोपोशीट मैप,(पेंज नं0 15) 4- क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र। (पेज न0 16)

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रपत्रों को मूल मे अपने स्तर से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करे

भवदीय

17/8/17

अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0

गौचर (चमोली)

17/8/17

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।
Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक–1101 /1सी0 (वन) दिनांक 17/8 /2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– **प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/10925/2015 सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कांचुला–गैन मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.000 हे0 वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

सन्दर्भः– आपका ऑनलाइन E. D. S. दिनांक 04.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित ई0डी0एस0 दिनांक 04.8.2017 द्वारा प्राप्त आपत्तियो का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या प्रेषित की जा रही है, जो निम्नवत हैः–

1	प्रश्न	उत्तर
1	It is seen from DSS analysis of the KML file/geo referenced map of the proposed CA area that 1.40 ha area out of total 8.00 ha overlaps with the CA area proposed against another project having proposal No. FP/UK/ROAD/14464/2015. State Govt. may change the CA area and submit revised geo referenced map,map in survey of india toposheet and suitability certificate ect.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ली गयी 8.00 हे0 भूमि क्षेत्रीय पटवारी की उपस्थिति मे चिन्हित सीमा के अन्तर्गत ही Coordinates लिये गये है। तदोपरान्त ही जिओ– रिफरेन्स मैप बनवाया गया है। महोदय इस खण्ड के द्वारा कोआर्डिनेट लेने मे त्रुटि नहीं की गयी है एवं जिओ रिफरेन्स मैप चिन्हित स्थल के अनुसार सही है।
2	In the village wise breakup of forest land given in para-B-2.3 of online part-I, forest land has been shown against 4 villages namely: kanchula, Donthla, Bairath, Gainsajkata but the name of these villages except Donthla village have not been mentioned in the proceeding of the Gram panchayat provided under FRA and uploaded in Part-K of online part-I.	ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये ग्राम कॉचुला, बेराठ, गेनसंजकटा के ग्राम स्तरीय समिति के प्रपत्र एवं FRA के सभी annexure Part I column K में ऑनलाइन अपलोड कर दिये गये है।
3	State Govt. may also submit original har copy of the FRA certificate, geo referenced digital mpa of the forest land propsed for diversion and the land proposed for CA and authenticated copies of the proceedings of the District Level Committe, sub Divisional Level Committee and all Village Level committess.	एफ0आर0ए0, उपखण्ड स्तरीय समिति, ग्रामस्तरीय समिति के पपत्र, जियोरेफरेन्स डिजिटल मैप, टोपोशीट मैप, एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपड मानचित्र मूल मे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। संलग्न 1– एफ0आर0ए0 के सभी प्रमाण पत्र (पेज नं0 2–13) 2-- जियोरेफरेन्स डिजिटल मैप, (पेंज नं0 14) 3-- टोपोशीट मैप,(पेंज नं0 15) 4-- क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र। (पेंज नं0 16)

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रपत्रो को मूल मे अपने स्तर से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करे।

भवदीय

17/8/17

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

17/8/17

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli

No--- **Dated :** 13-4-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.000 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of P.W.D. Gauchar, Uttarakhand for construction of new motor road "Kanchula-Gain" in Chamoli district falls within jurisdiction of Kanchula senz kata village (s) in Karanprayag tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.00 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s)' "Kanchula senz kata , Gain" sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिलाधिकारी
Signature चमोली
(Full name and official seal of the District Collector)

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 13.04.2015 at time 14:00 Hrs. at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measure 5.260 hect for the construction of construction of new motor road "Kanchula-Gain" (Praposed Lenth Km 7.200) and forest land 4.000 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanprayag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar
Dated: 13.04.2015

जिलाधिकारी
चमोली
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee

7

प्रपत्र—23.1

परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला - मैरखुरा मोटर मार्ग से कांचुला गैन मो० मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.680है० वन पंचायत, 2.100है० आरक्षित वन भूमि तथा मक प्रियोजल हेतु 0.220है० कुल 4.000है वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम डौठला/गैनोली

तहसील कर्णप्रयाग जिला चमोली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत सोनला-मैरखुरा मो० मार्ग से कांचुला गैन मोटर मार्ग। परियोजना के निर्माण हेतु (2.100 हे0 आरक्षित वन भूमि, ✗ हे0 सिविल सोयम भूमि 1.680हे0, तथा मकप्रियोजल हेतु 0.220है० वन पंचायत भूमि ——— हे0) अर्थात कुल 4.000हे0 वन भूमि का लो०नि०वि० गोचर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डौठला/गैनोली द्वारा दिनांक 10.3.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत डौठला/गैनोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० गोचर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—
ग्राम सचिव

ह0/—
ग्राम प्रधान

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत डौठला, वि०ख० कर्णप्रयाग (चमोली); ह० अनीता देवी, दिनांक 10.3.15)

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– राज्य-योजना के अन्तर्गत सोनला-मैखुरा मोटर मार्ग से कांचुला-गैन मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.600 है० वन पंचायत, 2.100 है० आरक्षित वन भूमि तथा मक डिस्पोजल हेतु 0.220 है० कुल 4.000 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ~~कर्णप्रयाग~~

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ~~कर्णप्रयाग~~

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत सोनला-मैखुरा मो० मार्ग से कांचुला गैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (2.100 हे0 आरक्षित वन भूमि, ~~x~~ हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.600 हे0 तथा मक डिस्पोजल हेतु 0.220 है० ~~बन पंचायत~~ भूमि, अर्थात कुल 4.000 हे0 वन भूमि) का लो० नि० वि० गौचर ——प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 25-3-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ——————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री विवेक प्रकाश ——उपजिलाधिकारी ———————— अध्यक्ष
2– श्री सुरेन्द्र लाल ——उप प्रभागीय वनाधिकारी———————— सदस्य
3– श्री मोहन सिंह डंगवाल ——सहायक समाज कल्याण अधिकारी———— सदस्य / सचिव
4– श्री ———————बी0डी0सी0 क्षेत्र श्रीमती सुशीला रावत ———— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

क्षेत्र पंचायत सदस्य
वि0ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)

राज्य-योजना के अन्तर्गत सोनला-मैखुरा मोटर मार्ग से कांचुला गैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.600 है० वन पंचायत तथा ——परियोजना हेतु———हे0 वन भूमि 2.100 है० आरक्षित एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.220 है० कुल 4.000 है० वन का लो० नि० वि० गौचर को हस्तान्तरण।

——————— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

महिपाल सिंह नेगी - सदस्य क्षेत्र पंचायत - बणसोली
मानवेन्द्र पुरोहित - सदस्य क्षेत्र पंचायत - थिरपाकोट

बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ——————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चमोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत सोनला-भैरवुरा मोटर मार्ग से कांचुला खर्क मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.000 हे० वन भूमि लो.नि.वि. गोचर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद चमोली

प्रपत्र–23.1

दिनांक 10:3:15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत गनोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री गोरेसिंह पुण्डिर	गोरेसिंह
2	,, रघुनाथसिंह पुण्डिर	रघुनाथसिंह
3	,, महावीरसिंह ,,	Mgjahr
4	,, पुष्करसिंह ,,	पुष्करसिंह
5	,, अवतारसिंह ,, (पूर्वप्रधान) गनोली	अवतारसिंह
6	,, गोविन्द सिंह ,,	Govind singh
7	श्रीमती गुड्डी देवी ,, (पूर्वप्रधान) गनोली	गुड्डी देवी
8	श्री दानसिंह ,,	दानसिंह
9	,, मकरसिंह ,,	मकारसिंह
10	,, उज्जवलसिंह ,, (पूर्वप्रधान) गनोली	उज्ज्वलसिंह
11	,, सुरबीरसिंह ,,	सुरबीरसिंह
12	श्रीमती कुन्तीदेवी (पूर्वप्रधान) गनोली	कुन्ती देवी
13	,, देवेश्वरी देवी ,,	देवेश्वरी देवी
14	,, सीता देवी ,, उपप्रधान गनोली	सीता देवी
15	श्री बलवन्तसिंह रावत	बलवन्तसिंह
16	,, गजपालसिंह ,,	Gajpal
17	,, जसपालसिंह पुण्डिर	जसपालसिंह
18	,, रमेशसिंह ,,	रमेशसिंह
19	श्रीमती कुसुम देवी ,,	कुसुम देवी
20	,, देवेश्वरी देवी ,,	देवेश्वरी देवी
21	,, फागुणी देवी (वार्ड सदस्य) क्र० 3	फागुणी देवी
22	श्री गबरसिंह कठैत	गबरसिंह
23	,, कल्याणसिंह कठैत	कल्याणसिंह
24	,, विनोद पुण्डिर	विनोद
25	,, चन्दनसिंह कठैत	चन्दनसिंह

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत गनोली
हस्ताक्षर ग्रामदेवी
दिनांक 10.3.15
वि0ख0–कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे0 आरक्षित /वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे0 कुल 4.000 हे0 आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम का नाम–गैरसैन्काचुला।
तहसील–कर्णप्रयाग, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे0 आरक्षित /वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे0 कुल 4.000 हे0 आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो0नि0वि0 गौचर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्रामसभा द्वारा दिनांक 9-5-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **काचुला** के ग्रामवासियों को 0·64 हे0 वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव उप0एम0 नगवाल ग्रा0पं0वि0अ0

हस्ताक्षर मधुदेवी
दिनांक ......
प्रधान ग्राम पंचायत ... विकासखण्ड कर्णप्रयाग (चमोली)

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 08.5.2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मसेटकला

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रघुनाथ सिंह	रघुनाथ सिंह
2	अवतार सिंह	अवतार सिंह
3	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
4	पुष्कर सिंह	पुष्कर सिंह
5	भूपाल सिंह	भूपाल सिंह
6	महावीर सिंह	महावीर सिंह
7	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
8	दान सिंह	दान सिंह
9	सिसुपाल सिंह	जगत सिंह, सिसुपाल
10	दर्शन सिंह	दर्शन सिंह
11	जगत सिंह	[illegible] सिंह
12	रंजन सिंह	जयवीर
12	जयवीर सिंह	[illegible] सिंह
13	अवल सिंह	[illegible]
14	जसवंत सिंह	[illegible]
15	नानक सिंह	[illegible]
16	बलवन्त सिंह	[illegible]
17	लखपत सिंह	लखपत सिंह

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible] (चमोली)

हस्ताक्षर मधु देवी

दिनांक

ह0/–

ग्राम प्रधान

प्रपत्र—23.1

परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला—कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे0 आरक्षित /वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे0 कुल 4.000 हे0 आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम का नाम — कॉचुला
तहसील—कर्णप्रयाग, जिला—चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला—कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे0 आरक्षित /वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे0 कुल 4.000 हे0 आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो0नि0वि0 गौचर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **ग्राम** डांगला द्वारा दिनांक 8/5/2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **काचुला** के ग्रामवासियों को 0.84 हे0 **वन पंचायत भूमि** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—
ग्राम सचिव जी0एम0 नगवाल ग्रा0पं0वि0अ0

प्रधान ग्राम पंचायत डांगला कर्णप्रयाग (चमोली)
ह0/—
ग्राम प्रधान

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 08.5.2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम ~~पंचायत~~ – कायला

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	इलाद सिंह	इलाद सिंह
2	पदन सिंह	पदन सिंह
3	दलबीर सिंह	दलबीर
4	कुनन सिंह	कुनन सिंह
5	बोगा सिंह	बोगा सिंह
6	चन्द्र सिंह	चन्द्र सिंह
7	उमेद सिंह	उमेद सिंह
8	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
9	रूप सिंह	रूप सिंह
10	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
11	मोहन सिंह	मोहन सिंह
12	मंगल सिंह	मंगल सिंह
13	अबल सिंह	अबल सिंह
14	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
15	[illegible] सिंह	[illegible]
16	दलबीर सिंह	दलबीर
17	भगवान सिंह	भगवान सिंह

प्रधान ग्राम पंचायत डोंगला
दिनांक
वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

ह० / –
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे0 आरक्षित /वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे0 कुल 4.000 हे0 आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम का नाम – वैराठ
तहसील–कर्णप्रयाग, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला–कण्डारा मोटर मार्ग से कॉचुलागैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.780 हे0 आरक्षित /वन पंचायत भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.220 हे0 कुल 4.000 हे0 आरक्षित/वनपंचायत भूमि का लो0नि0वि0 गौचर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम वैराठ द्वारा दिनांक 8-5-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम काचुला के ग्रामवासियों को 0.86 हे0 वन पंचायत भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
पी0एम0 जगवाल
ग्रा0पं0वि0अ0

हस्ताक्षर मधु देवी
ह0/–
ग्राम प्रधान
प्रधान ग्राम पंचायत ... वि0ख0–कर्णप्रयाग (चमोली)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 06-5-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम ~~पंचायत~~ – लैराo

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री कल्याण सिंह कठैत	कल्याण सिंह
2.	श्री सुरेन्द्र सिंह कठैत	[illegible]
3.	श्री गबर सिंह कठैत	गबर सिंह
4.	श्री चन्दन सिंह कठैत	चन्दन सिंह
5.	श्री यशवीर सिंह कठैत	Yaswant
6.	श्री [illegible] सिंह कठैत	[illegible] सिंह
7.	श्री विक्रम सिंह कठैत	[illegible]
8.	श्री महावीर सिंह कठैत	
9.	श्री [illegible] सिंह कठैत	[illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]
हस्ताक्षर मधुदेवी
दिनांक ......
वि०ख० [illegible]प्रयाग (चमोली)

ह0/–
ग्राम प्रधान

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत कांचुला – गैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

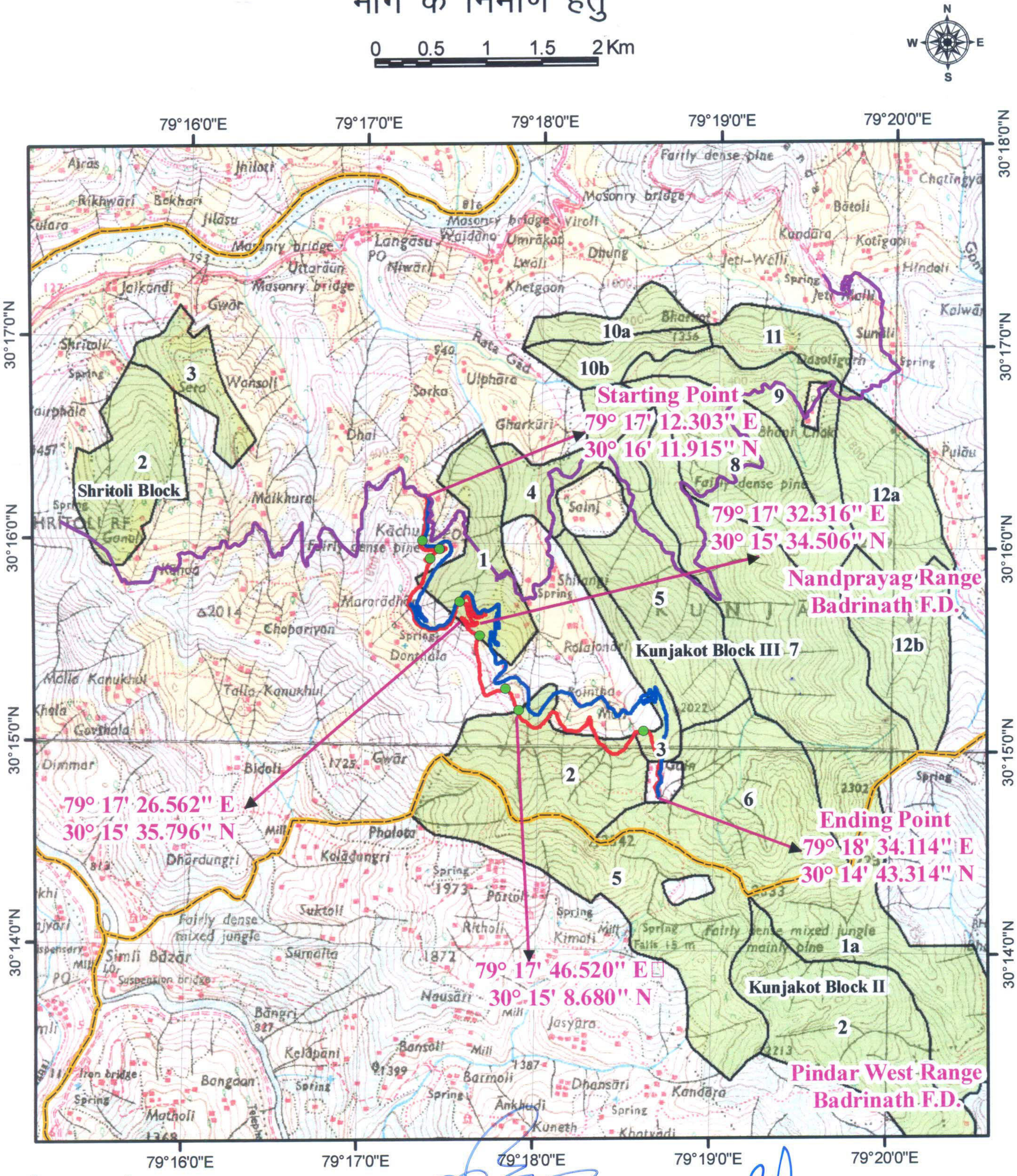

Legend

- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Alternate Road
- Existing_Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

J.E

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

जियो रेफरेंस मैप :– जनपद चमोली के अन्तर्गत कांचुला – गैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.25 0.5 1 Km

Scale - 1:16,000

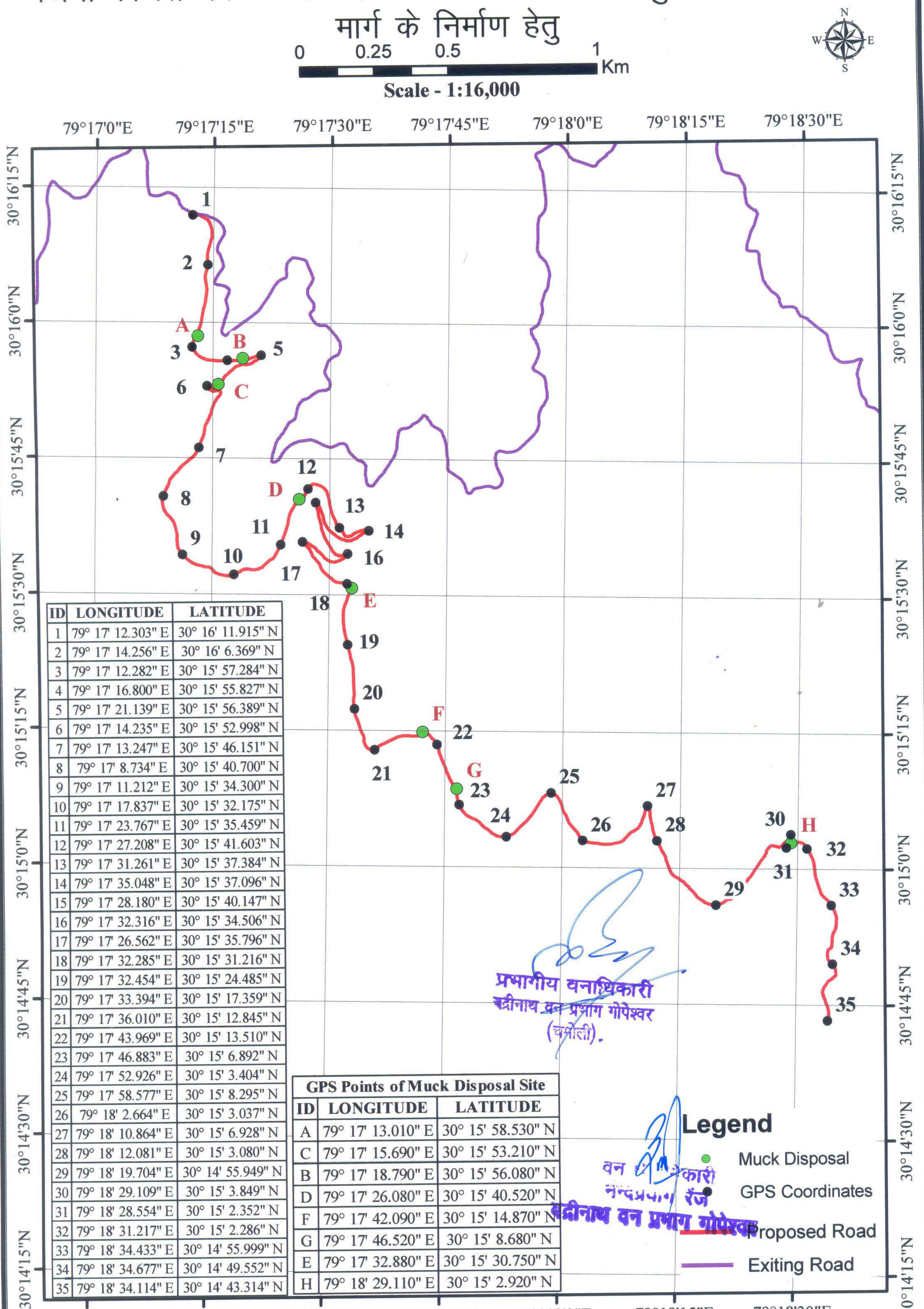

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79° 17' 12.303" E	30° 16' 11.915" N
2	79° 17' 14.256" E	30° 16' 6.369" N
3	79° 17' 12.282" E	30° 15' 57.284" N
4	79° 17' 16.800" E	30° 15' 55.827" N
5	79° 17' 21.139" E	30° 15' 56.389" N
6	79° 17' 14.235" E	30° 15' 52.998" N
7	79° 17' 13.247" E	30° 15' 46.151" N
8	79° 17' 8.734" E	30° 15' 40.700" N
9	79° 17' 11.212" E	30° 15' 34.300" N
10	79° 17' 17.837" E	30° 15' 32.175" N
11	79° 17' 23.767" E	30° 15' 35.459" N
12	79° 17' 27.208" E	30° 15' 41.603" N
13	79° 17' 31.261" E	30° 15' 37.384" N
14	79° 17' 35.048" E	30° 15' 37.096" N
15	79° 17' 28.180" E	30° 15' 40.147" N
16	79° 17' 32.316" E	30° 15' 34.506" N
17	79° 17' 26.562" E	30° 15' 35.796" N
18	79° 17' 32.285" E	30° 15' 31.216" N
19	79° 17' 32.454" E	30° 15' 24.485" N
20	79° 17' 33.394" E	30° 15' 17.359" N
21	79° 17' 36.010" E	30° 15' 12.845" N
22	79° 17' 43.969" E	30° 15' 13.510" N
23	79° 17' 46.883" E	30° 15' 6.892" N
24	79° 17' 52.926" E	30° 15' 3.404" N
25	79° 17' 58.577" E	30° 15' 8.295" N
26	79° 18' 2.664" E	30° 15' 3.037" N
27	79° 18' 10.864" E	30° 15' 6.928" N
28	79° 18' 12.081" E	30° 15' 3.080" N
29	79° 18' 19.704" E	30° 14' 55.949" N
30	79° 18' 29.109" E	30° 15' 3.849" N
31	79° 18' 28.554" E	30° 15' 2.352" N
32	79° 18' 31.217" E	30° 15' 2.286" N
33	79° 18' 34.433" E	30° 14' 55.999" N
34	79° 18' 34.677" E	30° 14' 49.552" N
35	79° 18' 34.114" E	30° 14' 43.314" N

GPS Points of Muck Disposal Site

ID	LONGITUDE	LATITUDE
A	79° 17' 13.010" E	30° 15' 58.530" N
C	79° 17' 15.690" E	30° 15' 53.210" N
B	79° 17' 18.790" E	30° 15' 56.080" N
D	79° 17' 26.080" E	30° 15' 40.520" N
F	79° 17' 42.090" E	30° 15' 14.870" N
G	79° 17' 46.520" E	30° 15' 8.680" N
E	79° 17' 32.880" E	30° 15' 30.750" N
H	79° 18' 29.110" E	30° 15' 2.920" N

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

J.E A.E E.E

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के अन्तर्गत कांचुला – गैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल ग्वाड़ सिविल सोयम

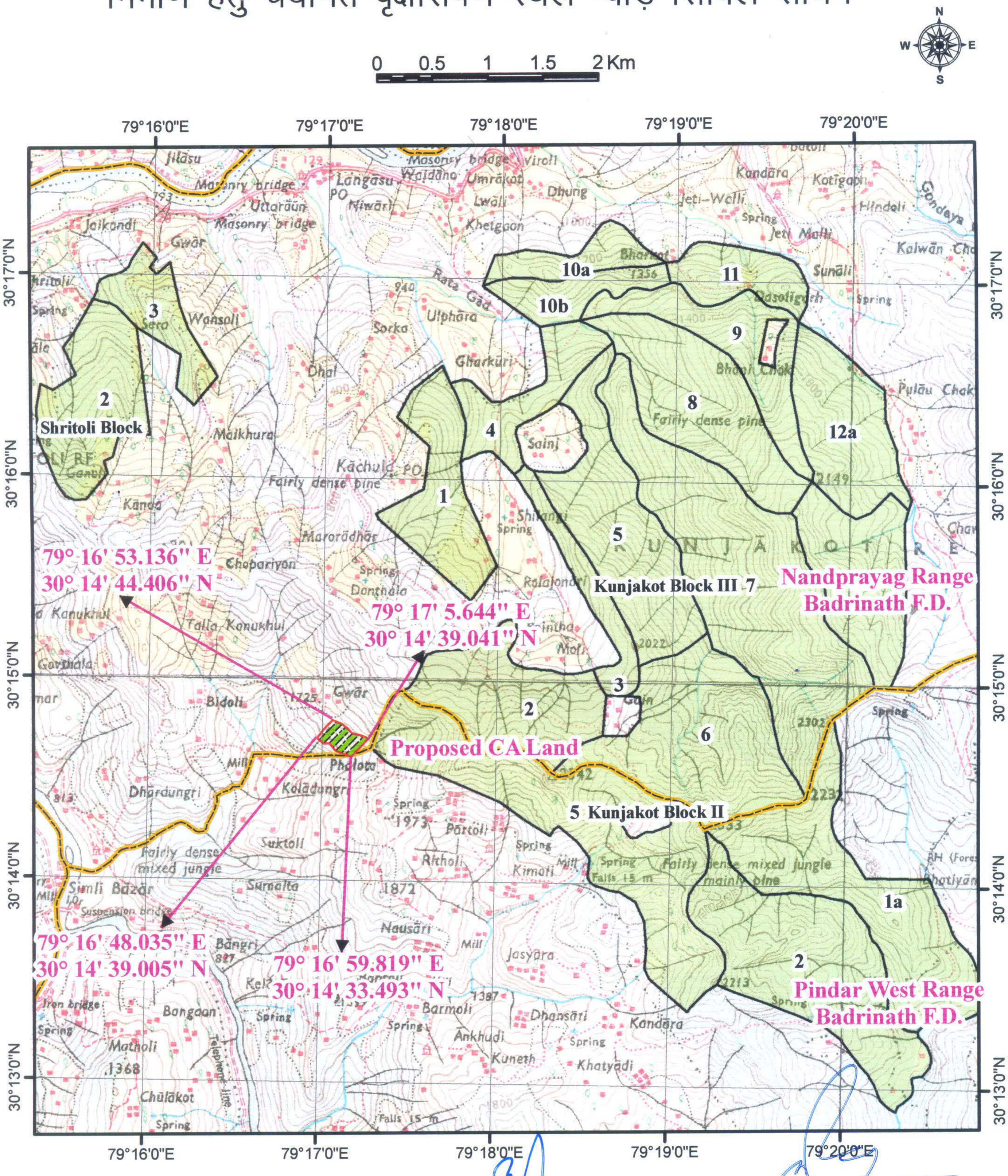

Legend

- Existing_Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

J.E

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो.नि.वि.
गौचर (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
गौचर

जियो रेफरेंस मैप :– जनपद चमोली के अन्तर्गत कांचुला – गैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल ग्वाड़ सिविल सोयम

0 0.05 0.1 0.2 Km

Scale - 1:3,000

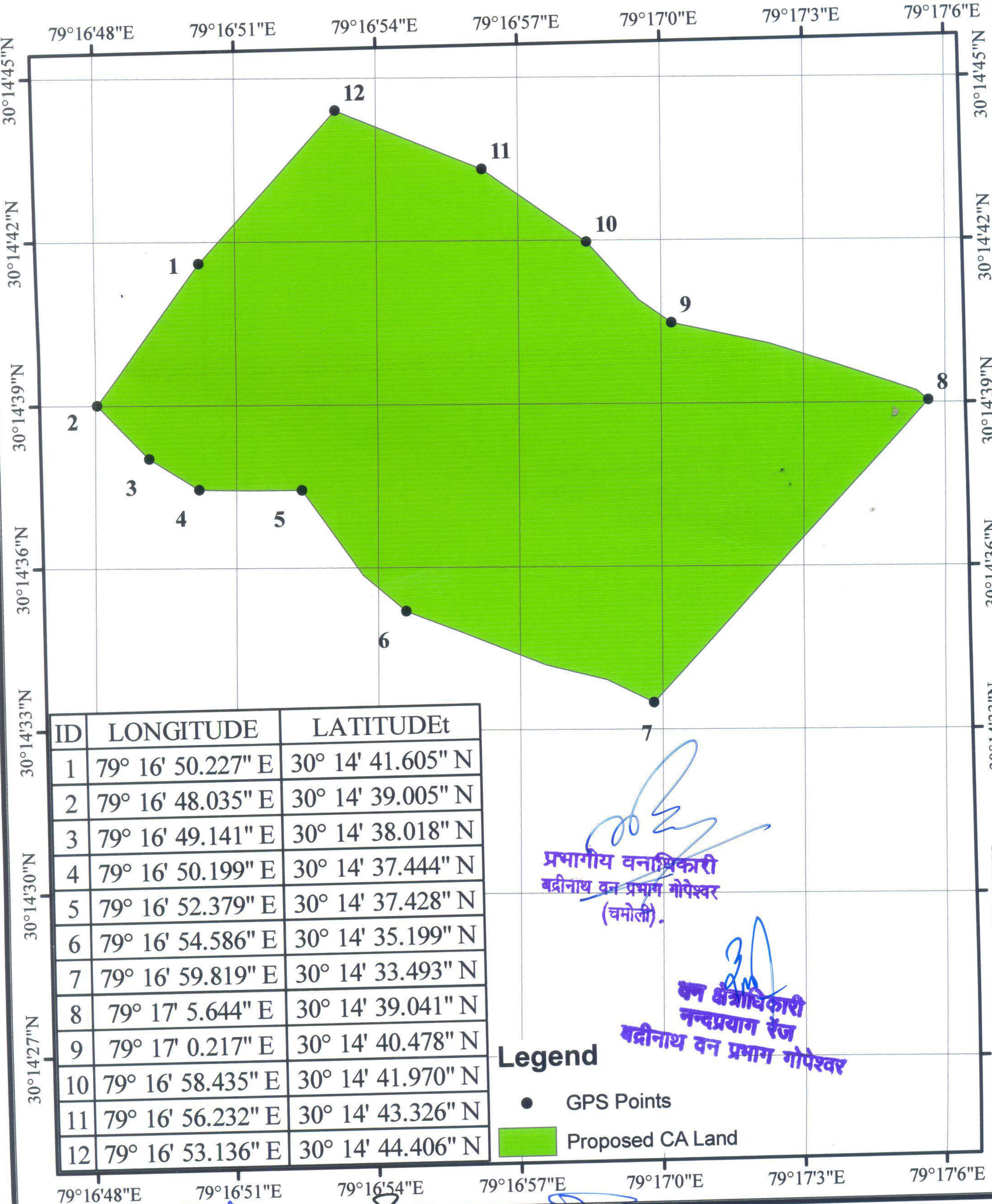

ID	LONGITUDE	LATITUDEt
1	79° 16' 50.227" E	30° 14' 41.605" N
2	79° 16' 48.035" E	30° 14' 39.005" N
3	79° 16' 49.141" E	30° 14' 38.018" N
4	79° 16' 50.199" E	30° 14' 37.444" N
5	79° 16' 52.379" E	30° 14' 37.428" N
6	79° 16' 54.586" E	30° 14' 35.199" N
7	79° 16' 59.819" E	30° 14' 33.493" N
8	79° 17' 5.644" E	30° 14' 39.041" N
9	79° 17' 0.217" E	30° 14' 40.478" N
10	79° 16' 58.435" E	30° 14' 41.970" N
11	79° 16' 56.232" E	30° 14' 43.326" N
12	79° 16' 53.136" E	30° 14' 44.406" N

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

J.E A.E E.E